

राजिरशान पर है देश और दुनिया की निवाहे

आइए हम मिल कर अपने शहर को रखच्छ और सुंदर बनाएँ



पर ये दुकानों पर कमरा पान रखें



सामग्रीक भवित्वों को खोला, दौर, गाल और लगाज बर्दंग न करें



कुड़े को जमरा पान में लाने

ज्ञानिक शैक्षिकों को अलिंदा प्रयोग करें पूछ का दैता आज, अपने का दैता



हमारा संकल्प - स्वच्छ प्रदेश | हमारा ध्येय - हरा-भरा प्रदेश | हमने पाया - सुन्दर प्रदेश



हम हैं स्वच्छता के राजा प्रहरी - स्वाच्छत शास्त्र विभाग, साजस्थान सरकार

राजस्थान पर है देश और दुनिया की निराहे

आइए हम मिल कर आपने शहर को रख रख और सुंदर बनाएं

- अपने घर के रुड़े-कचरे को मोहल्ले-कालोनी में नियमित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- सार्वजनिक पानों/उदानों में गंदगी न केलाएं।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- घर के आंगन/पर्व का पानी बाहर सड़क पर न फैलाएं।
- निर्माण का भलवा व निर्माण सम्पत्ति सार्वजनिक स्थानों पर न डालें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुधार लें पर न करें।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 219, 220, 221, 223 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना कानूनन अपराध है।



हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी - स्वास्थ्य शास्त्र विभाग, राजस्थान सरकार


राजस्थान पर है देश और दुनिया की निवाहें

आइए हम मिल कर आपने प्रदेश को स्वास्थ और सुंदर करनाएं

नए जीव और सकल्प के साथ
अपने प्र-छोलोनी से
करें गुरुआत

- अपने घर के कुड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- घर के आंगन / पोर्च का पानी बाहर सड़क पर न फेलाएं।
- सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- गली मोहल्ले में दृश्य लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।

हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी- स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्थान सरकार



साम्राज्य नागरिक की यह पहचान - रखें राष्ट्राई का पुता द्वान

ग्राउंडवरी और अतिथिमात्रा करने पर चुम्भना

दब्ब हो सकता है चुम्भना

भक्तान में रहने वालों द्वारा
सड़क पर कचरा केलाने पर

उफानदर्शरे द्वारा सड़क पर
कचरा केलाने पर कोरिंग चालें

भक्तान के गेंदे पानी का
निकास सड़क पर करने पर

पालतू जानवरों
द्वारा गत्तरी केलाने पर

प्राइवेट अस्पताल द्वारा आम रास्ते
व सड़क पर गत्तरी केलाने पर

स्वरक्षणारी जनीन पर अतिथिमात्रा
कर द्वारा भलाकर गत्तरी केलाने

नारंग की उड़ान की गत्तरी
सड़क व आम रास्तों में
जालकर गंदी केलाने पर

निर्माण द्वारा दर्शनरे द्वारा निर्माण
सम्पत्ति व भलाकर गत्तरी
करने पर जालाने पर

बिना सधम स्वीकृती के
रोड़फट करने पर

अतिथिमात्रे द्वारा स्वरक्षणारी
जनीन पर अतिथिमात्रा
कर द्वारा भलाकर करने पर

निर्माण का भलाका व
निर्माण सामग्री डालाने पर

पालतू जानवरों
द्वारा गत्तरी केलाने पर

हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी - रखायत शासन विभाग, राजस्वान सरकार



राजस्थान पर है देश और दुनिया की निवाहें

आइप हम मिल कर आपने प्रदेश को रचना और सुंदर बनाएं

- आप घर के कुड़े-कब्जे को भोजले-गोलोनी में निर्धारित स्थल पर कब्रा पात्र में जाते।
- सार्वजनिक पाको/उदानों में गंदी न केलाएं।
- कमर-पात्र का उपयोग करें।
- घर के आंगन/पर्व का पानी बाहर सड़क पर न केलाएं।
- निर्माण कार्य व निर्माण सम्प्रीति सार्वजनिक स्थानों पर न डालें।
- साफाई कर्मियों को उनका कार्य सुधाल रूप से करने में सहयोग करें।

राजस्थान नारथालिका अधिनियम की धारा 219, 220, 221, 223 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर गंदी फैलाना कानूनन अपराध है।

- गली भोजले में दूसरे लाइट खाल होने पर नार नियम को सूचित करें।

- सार्वजनिक नदों से पानी न बहने दें।
- बिना सक्षम स्त्रीयों के रोडफ़ाट न करें।

- सार्वजनिक सम्पत्तियों को पोस्टर, बैनर, बाल पेटिंग लगाकर बदलना न करें।
- राजस्थान सम्पत्ति विलेपण निवारक अधिनियम 2007 के तहत शहरी भौत में “सम्पत्ति” का “विलेपण” संज्ञय अपाराध है।
- लालिक थैलियों को कहे अलिदिया। जूट, कागज, कपड़े का थैला प्रयोग करें।



हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी - देशावलत शासन विभाग, राजस्थान सरकार

पर्विरण को दें हप्ता, पॉलीथीन का करें बोटिका


पॉलीथीन की सारी पौली, पर्विरण को करती मैली

आईये अपने रोजमरा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आपना को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

संस्कृत
भाषा

पर्विरण को दें तुपड़ार, पॉलीपीन को करें धाइकर

पॉलीथीन की साती पैली, पर्विरण को करती मेली



अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें।
आईचे अपने रोजमरा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।



पर्विरण विभाग- स्वाच्छता शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी

**ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਂਤੀਧੀਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਂਤੀਧੀਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ,**

ਪ੍ਰਦਾਣ ਕੀਤੇ ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ




ਅਪੀਲ : ਕਪੜੇ, ਜੂਟ ਏਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਥੈਲੇ/ਥੈਲਿਆਂ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।



ਆਈ ਅਪੇ ਰੋਜ਼ਮਾਨ ਜੀਵਨ ਮੌਖਿਕੀਨ ਕਾ ਤਾਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਮਜਨ ਕੋ ਪਲਾਇਕ ਸੇ ਹਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਲਕ ਕਰੋ।

ਪਥਰਣ ਵਿਭਾਗ - ਸ਼ਾਖਾਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ






**पुर्विरण को दें उपहार, पौलीपीन को करें लाइफ्कार
पॉलीपीन की सारती घैली,**

पुर्विरण को करती घैली

अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें।
आइये अपने रोबर्स जीवन में पॉलीथिन का त्याग करें व आपजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

पर्यावरण विभाग - स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी






आइए हम भिलकर अपने शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाएं नए जीशा और संकल्प के साथ अपने घर - कॉलोनी से करें शुद्धआत

- अपने घर के कुद्दे-कबरे को मोहल्ले-कॉलोनी में नियमित स्थल पर कचरा पत्र में डालें।
- घर के आंगन/पर्व का पानी बाहर सड़क पर ना फेलाएं।
- सार्वजनिक पार्कों में गंदी ना फेलाएं।
- कचरा-पत्र का उपयोग करें।
- गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खारब होने पर विभाग को सूचित करें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारू रूप से करने में सहयोग करें।

हम हैं स्वच्छता के सजाप्रहरी - स्वाच्छत शासन विभाग, राजस्थान सरकार



पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीथीन का करें बहिष्कार

पॉलीथीन की सारती खेली,

पर्यावरण को करती खेली


अपील


कपड़े, जूट एवं कागज के
थैले/थैलियों का उपयोग करें।



आइये अपने गोजमार्जीबन में पॉलीथीन का त्याग करें व आपजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

पर्यावरण विभाग- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी





पोर्टर बैनर लगाकर, अपने शहर का दिवापन लिपाड़े

“सम्भालें वगा विरचया” संचोयिता अपराधी हैं।

प्रथम अपराध पर एक वर्ष तक का कारावास
गा.5 से 10 हजार रु. तक जुर्माना अद्यवा दीनो ! | द्वितीय अपराध पर 2 वर्ष तक का कारावास
कृपया ध्यान दे - बॉल पेन्टिंग करवाने वाली संस्था, एजेंट एवं पेन्टर भी इसमें दोषी होंगे।



हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी - स्वास्थ्य शास्त्र विभाग, सरकारी स्वस्थान

पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीथीन का करें बहिष्कार

पॉलीथीन की सामग्री खेली,

पर्यावरण को करती खेली

अपील

कपड़े, जूट एवं कागज के
थैले/थैलियों का उपयोग करें।



आइये अपने रोजमरा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

पर्यावरण विभाग- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी

संसद
भारत
पृष्ठा अन्त में से ३०


ठेस करया प्रबन्धन उपविष्टियां-2005 लागू

ગુરુવી ઔર અતિવારણ કરણે પણ 100 રૂ. સ્થે 2500 રૂ. તક જુદ્ધાના


आत्मधारण - कब हो सकता है जुर्माना

मांस की डुकान की गन्दगी सङ्क पर आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	1000/- रुपये प्रतिदिन
प्राइवेट अस्पताल द्वारा आम रास्ते पर सङ्क पर गन्दगी फैलाने पर	500/- रुपये प्रतिदिन
मकानवासियों द्वारा सङ्क पर कचरा फैलाने पर	100/- रुपये प्रतिदिन
निर्माण का मलबा व निर्माण सामग्री डालने पर	200/- रुपये प्रतिदिन
डुकानदारों द्वारा सङ्क पर कचरा फैलाने पर केरिंग चार्जेज	250/- रुपये प्रतिदिन
पकान के गंदे पानी का निकास सङ्क पर करने पर	100/- रुपये प्रतिदिन
पालतू जानवरों द्वारा गन्दगी फैलाने पर	200/- रुपये प्रतिदिन
बिना सशम स्वीकृति के रोड कट करने पर	500/- रुपये प्रतिदिन
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	100/- रुपये प्रतिदिन
केरिंग चार्जेज के रूप में	
निर्जी टेक्टरों द्वारा निर्माण सामग्री व मलबा सरकारी भूमि पर डालने पर	200/- रुपये प्रतिदिन
व्यवसायियों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर	2500/- रुपये प्रतिदिन

۱۴۳




मेरा राजस्थान मेरी शान इसकी सुन्दरता है पहचान



- अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-काँलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर ना कैलाएं।
- सार्वजनिक पार्कों में गंदगी ना कैलाएं।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
- गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट ख्राब होने पर विभाग को सूचित करें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुनारु रूप से करने में सहयोग करें।

आजो तो से गंदगी न करें, साथजा से दोषों को बचाएं।
जहां ये दिनों न करते, जहां सभी आतंकी भी करते हैं।

एक बदम सच्छता की ओर



सच्छ राजस्थान,
सुन्दर भारत



हमारा संकल्प
सच्छ जयपुर

हमारा ज्येष्ठ
हरा-भरा जयपुर

हमने पात्रों
मुन्द्रर जयपुर

हम हैं सच्छता के सजग प्रहरी— स्वास्थ्य शास्त्र विभाग, राजस्थान सरकार

स्वच्छता अपनाएं-राजस्थान की शान बढ़ाएं-सभ्य नागरिक कहलाएं

- ◆ अपने घर/भवन की स्वच्छा सुनिश्चित करें कचरा मलबा निर्धारित स्थान पर डालें
- ◆ अपने घर/दुकान/कार्यालय में कचरा पात्र रखें
- ◆ सार्वजनिक सौचालय/पूँजालय सफरबे
- ◆ बस स्टेप्प/रोले स्टेप्पों पर/विद्यालयों/अम्भतालों/सड़कों/गलियों/वाकों/बाजारों/सार्व स्थानों/ऐतिहासिक धरोहरों आदि को साफ रखने में सहयोग दें

बल्ली सड़क या घर-आँदोलन, स्वच्छता बने जन-आँदोलन




हम हैं स्वच्छता के सज्जा प्रहरी- स्वच्छता शासन विभाग, राजस्थान सरकार



क्या आप इसे

अपने झोंड़ा रूम में पसंद करेंगे?



शहर में गंदगी न कैलाएं,
खुद समझें औरों को भी समझाएं।

- कचरा हमेशा रुड़ेवान में डालें
- सड़क, बीचे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थिता का ध्यान रखें
- नली-मोहल्ले, कॉलोनियों के कोनों पर कचरे का केर न लगाएं
- साफ-सफाई का स्वयं ल्याल रखें
औरें को भी जमसार

तो अपने शहर की सड़कों पर क्यों?

आओ अपने प्रदेश को बेहतर बनाएं
स्वच्छता अपनाएं



सभ्य नागरिक को कर्तव्य निभाएं अपने शहर को स्वच्छ-सुन्दर बनाएं।

हम हैं स्वच्छता के सज्जा प्रहरी - स्वास्थ्य शास्त्र विभाग, राजस्थान सरकार



आओ मिलकर निभाएं जिम्मेदारी - सुन्दर हो गुलाबी नगरी हमारी

द्यान देवें-




- अपने घर / प्रतिष्ठान के कूड़े-कचरे को निर्धारित स्थल पर प्राप्त: 11 बजे तक कचरा पात्र में डालें।
- घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर ना फैलाएं।
- सार्वजनिक पार्कों में गंदगी ना फैलाएं।
- कचरा फैलाने पर प्रतिदिन केरिंग चार्ज लगेगा।
- पालतू जानवरों को सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर ना छोड़ें।

- भवन निर्माण सामग्री/मलबा सार्वजनिक स्थलों पर ना डालें।
- सार्वजनिक सम्पत्तियों पर बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल चिपकाकर विरुपण ना करें। ऐसा करना दण्डनीय अपराध है।
- गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारू रूप से करने में सहयोग करें।

शहर में गंदगी न फैलाएं,
खुद समझें औरों को भी समझाएं.



भवन निर्माण सामग्री
मलबा का जूट का थोक, कापड़ का थोक
प्रयोग करने को करें अन्तरिक्ष



पर्यावरण को सुधारें!
एक दूसरे लम्ब से लाए

हम हैं स्वच्छता के सजा प्रहरी - स्वाच्छता शासन निभाना, राजस्थान सरकार

एवं अन्य संस्थानों द्वारा